

कार्यालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

ताद सं०- M 38 / 2019

धारा-107 द०प्र०सं०

निरंजन महती

बनाम मन्दु मछुवा वर्गेरड

आदेश की तारीख एवं सं०

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर


आदेश पर की गई कार्यवाही एवं टिप्पणी तथैव सहित


अगिलेख सं०-एग. 38 / 2019 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी श.ई.ओ.पी.० के अप्राथमिकी सं०- 07/19 दिनांक 5/4/19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि दोनों पक्ष में ईंट बनाने के कारण रूपया लेन देन में मारपीट लेकर विवाद है।

जिससे संभावना है कि परिशांति बंग होगी या लोक परिशांति शुद्ध होगी या उभय पक्ष/निपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति बंग हो जाएगी या लोक परिशांति शुद्ध हो जाएगी।

अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) ₹ का बन्ध पत्र उरशी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अगिलेख तिथि 29/04/19 को उपस्थापित करें।
लेखापित एवं संशोधित।


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।



कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर
01-11-19	<p>आधिलेखन उपस्थापित। प्रथम पत्र आधिकारक हाजरी दिनांक 01 उपस्थित अन्य आधिकारक हाजरी प्रथम पत्र आधिकारक नहीं हैं के कारण गवारी द्वारा आगली तिथि की मांग की गई। दिनांक 22-11-19 को रखें।</p>
22-11-19	<p>द्वितीय की ओर से हाजरी दी गई। कार्यपालक दण्डाधिकारी विधानसभा निर्वाचन कार्य में व्यस्त। दिनांक - 02-12-19 को रखें।</p>
02-12-19	<p>द्वितीय पत्र की ओर से हाजरी दी गई। कार्यपालक दण्डाधिकारी विधानसभा निर्वाचन कार्य में व्यस्त। दिनांक 13-12-19 को रखें।</p>
13-12-19	<p>आधिलेखन उपस्थापित। प्रथम पत्र</p>

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित

अनुपस्थित। उक्त वाद के 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है।
 अतः वाद के अभिलेख की कारवाही बन्द की जाती है।


13/11/19

कार्षपालक दस्तावेजी
 कुष्ठ (रांची)


13/11/19

कार्षपालक दस्तावेजी
 कुष्ठ (रांची)